उदयपुर में भाजपा के मेयर कैंडिडेट रोने लगे, जैसलमेर में हारे हुए प्रत्याशी का कांग्रेस से नामांकन

कुचामनसिटी में बीजेपी ने निर्दलीय को बनाया सभापति प्रत्याशी

बढ़ते कदम

उदयपुर। राजस्थान में शहरों की सरकार के मुखिया चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर निगमों में मेयर, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में सभापति-अध्यक्ष पद के लिए आज दोपहर 3 बजे तक नामांकन होंगे। जैसलमेर में हाइब्रिड सिस्टम के तहत हारे हुए प्रत्याशी निर्मल रैयानी ने कांग्रेस से नामांकन दाखिल किया है। उदयपुर में भाजपा से मेयर पद के प्रत्याशी पारस सिंघवी नामांकन भरने पहुंचे तो भावुक हो गए। बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस ने पूर्व मंत्री बीडी कल्ला के भतीजे अनिल कल्ला को मेयर कैंडिडेट बनाया है। अनिल वार्ड-73 से पार्षद हैं। भाजपा ने बहुमत नहीं होने के बाद भी वार्ड-13 के पार्षद सुरेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने यहां 80 में से 42 सीट जीती हैं। बीकानेर कांग्रेस में फूट भी सामने आई है। कांग्रेस से उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर वार्ड-50 से नवरतन डागा ने बगावत करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि कल्ला परिवार को ही बार-बार टिकट क्यों दिया जाता है। कुचामन सिटी नगर परिषद में बीजेपी ने निर्दलीय महेश रामचंद्रका को सभापति पद के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। रामचंद्रका ने नगर परिषद चुनाव में बीजेपी से पार्षद पद का टिकट मांगा था। टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। भीलवाड़ा में बीजेपी की जसवंत बन सकती हैं पहली महिला मेयर भीलवाड़ा नगर निगम में बीजेपी ने वार्ड-9 से पार्षद जसवंत कंवर (37) को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने यहां 70 में से 45 वार्ड जीते हैं। जसवंत कंवर भीलवाड़ा की पहली महिला मेयर बन सकती हैं। भरतपुर नगर निगम के 65 वार्डों में सबसे ज्यादा 36 वार्ड निर्दलीयों ने जीते हैं। बीजेपी को 20 और कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। इस बीच वार्ड-61 से बीजेपी पार्षद अनुराधा मेयर पद के लिए नामांकन करने नगर निगम पहुंचीं। दौसा नगर परिषद में सभापति की कुर्सी के लिए बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं। यहां किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में निर्दलीय किंगमेकर हैं। बीजेपी ने वार्ड-6 की पार्षद कविता गुर्जर और कांग्रेस ने वार्ड-54 की पार्षद रेखा गुर्जर को मैदान में उतारा है। हनुमानगढ़ जिले की नोहर नगर पालिका में कांग्रेस की ओर से विधायक अमित चाचाण के छोटे भाई सुमित चाचाण ने नामांकन दाखिल किया। सुमित चाचाण वार्ड-35 से जीते थे। नागौर नगर परिषद में बीजेपी में अंदरूनी खींचतान सामने आई है। बीजेपी ने संतोष टाक को सभापति पद के लिए मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी से चुनाव जीतने वाली पूर्व सभापति की पत्नी रमा सांखला ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। जानिए नगर निगमों में कौन प्रत्याशी?

नगर निगम भाजपा कांग्रेस अन्य
बीकानेर सुरेंद्र सिंह शेखावत अनिल कल्ला
भीलवाड़ा जसवंत कंवर कोई नहीं
भरतपुरअनुराधा सिंहकोई नहीं
अलवर सुमनलता अग्रवाल (पार्टी की घोषणा नहीं)
जमेर नामिका शर्मा किरणगड़वाल
उदयपुर पारस सिंघवीडॉक्टर पूनम कुमार राठौर
पालीराज बाला हिंगड़ और सुमित्रा जैन राशिदा मोहसिन खत्री, कुसुम सोनी, पुष्पा सोमनानी (निर्दलीय)

कोटा में बीजेपी-कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट

जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम और सुकेत नगर पालिका के कुल 10 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से री-पोलिंग हो रही है। 17 सितंबर को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी। कोटा नगर निगम के वार्ड-87 के बूथ पर मतदान के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। मारपीट और धक्का-मुक्की के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को चोट भी लगी। प्रदेश के 7 नगर निगमों में मेयर चुनाव तक बीजेपी-कांग्रेस ने पार्षदों की बाड़ेबंदी कर रखी है। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम के वार्डों में री-पोलिंग के कारण मेयर चुनाव बाद में होंगे।

अजमेर- कांग्रेस ने किरण गड़वाल को बनाया प्रत्याशी

अजमेर में कांग्रेस ने वार्ड-57 से पार्षद किरण गड़वाल को प्रत्याशी घोषित किया है। किरण ने वार्ड-57 में भाजपा की नीतू सिंह को 284 मतों

उदयपुर में भाजपा के पास मेयर के दो बड़े चेहर

इस बार मेयर की सीट अनारक्षित ओपन होने से पार्टी के लिए ज्यादा माथापच्ची है। उदयपुर नगर निगम चुनाव परिणामों के बाद सभी की नजरें अब मेयर चेहरे पर टिकी हैं। बीजेपी ने सभी 53 पार्षदों की बाड़ेबंदी कर रखी है। पार्टी में मंथन जारी है। इस बार मेयर की सीट अनारक्षित ओपन होने से पार्टी के लिए ज्यादा माथापच्ची है। पार्षदों की बाड़ेबंदी में मंगलवार को सभी नए पार्षदों को एक पर्ची देकर तीन-तीन नाम लिखवाए गए। उदयपुर शहर के पास हाइवे किनारे एक होटल में इन सभी पार्षदों को बाड़ेबंदी कर रखा गया है। इस बार भी भाजपा का सातवीं बार बोर्ड बनना तय है। पर्ची में 3-3 नाम लिखवाकर चॉइस लिखवाई गई। मेयर के लिए नामांकन होना है। आज देर रात तक पार्टी मेयर प्रत्याशी का नाम फाइनल कर बुधवार को नॉमिनेशन करवाएगी।

INDIAN OVERSEAS BANK
इण्डियन ओवरसीज बैंक करौली शाखा, सरकारी कॉलेज के पास, करौली-322241, राजस्थान
ई-मेल: iob2228@iob.in फोन: 8925952228

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का संख्यांक 54) के अंतर्गत बैंक को बंधक रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों की बिक्री, जबकि इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी नोटिस के अनुसरण में निम्नलिखित ऋण खाते में निम्नलिखित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है, जिसे 'जहां है जैसा है', 'जो है जैसा है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बैंक की बकाया राशि तथा ब्याज व लागतों की वसूली के लिए बेचने का अधिकार है, जैसा कि नीचे विस्तृत रूप से बताया गया है और बकाया राशि चुकाने में असफलता के परिणामस्वरूप, उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता उक्त संपत्ति की बिक्री द्वारा बैंक की बकाया राशि की वसूली करने का प्रस्ताव करता है। बिक्री वेब पोर्टल https://baanknet.com. के जरिये ई-नीलामी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाएगी।
ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर का नाम और विवरण:-

क्र. सं.	ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर का नाम और विवरण:-
1.	1. गजानंद माली पुत्र चौथी लाल माली एवं रुकमणी माली, ग्राम-कोटा मामचारी, तहसील एवं जिला-करौली-322243, 2. पवन कुमार कुशवाह पुत्र अशोक कुमार कुशवाह, ग्राम-कोटा मामचारी, तहसील एवं जिला-करौली-322243

एनपीए दिनांक	04.06.2026
मांग सूचना की दिनांक	05.06.2026
मांग सूचना में दावा की गई बकाया राशि	रुपये 11,94,650/- दिनांक 05.06.2026 तक बकाया
कब्जा सूचना की दिनांक	14.08.2026 (सांकेतिक कब्जा)
कब्जा सूचना में दावा की गई बकाया राशि	रू.12,22,057.75 दिनांक 13.08.2026 तक बकाया
स्थानीय स्वशासन की बकाया राशि (संपत्ति कर, जल सीवरेज, बिजली बिल आदि)	ज्ञात नहीं। (बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक देयताओं का स्वयं पता कर लें। यदि कोई वैधानिक देयता है, तो उसका भुगतान क्रेता द्वारा किया जाएगा तथा इस संबंध में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।)
आरक्षित मूल्य	रु. 26,67,600/-
ईएमडी	रु. 2,66,760/-
नीलामी की दिनांक एवं समय	23.10.2026 (शुक्रवार) दोपहर 1.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
ईएमडी के साथ बोली के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना	22.09.2026 के बाद से
ईएमडी के साथ बोली के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	22.10.2026 को सायं 05:00 बजे तक
बोली वृद्धि राशि	रु. 10,000/-
स्वतः विस्तार समय	10 मिनट
ज्ञात भार (यदि कोई हो)	प्राधिकृत अधिकारी को ज्ञात नहीं
निरीक्षण तिथि एवं समय	22.09.2026 से 22.10.2026 तक दोपहर 01:00 बजे से शाम 4.00 बजे तक (पूर्व नियुक्ति द्वारा)

क्र.सं.	अचल संपत्ति का विवरण
1.	आवासीय मकान क्षेत्रफल 1138.5 वर्गमीटर (09 बिस्वा), खसरा नं. 783, ग्राम-कोटा मामचारी, तहसील एवं जिला-करौली-322243 में स्थित जो श्री गजानंद माली के नाम पर है। संपत्ति का क्षेत्रफल: 1138.5 वर्गमीटर सीमाएं: पूर्व: मूलचंद एवं लालाराम की संपत्ति पश्चिम: माली एवं प्रकाश माली की संपत्ति उत्तर: रास्ता दक्षिण: रतन लाल एवं ओमी गुप्ता की संपत्ति

-बैंक की बकाया राशि को वैधानिक बकाया से अधिक प्राथमिकता दी जाती है
नियमों और शर्तों के लिए कृपया देखें: https://www.iob.in/e-Auctions.aspx
https://baanknet.com (सेवा प्रदाता की ई-नीलामी का वेब पोर्टल)
दिनांक: 16.09.2026;
स्थान: करौली
वास्ते इंडियन ओवरसीज बैंक
(प्राधिकृत अधिकारी)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
आर्य नगर शाखा, अलवर, राजस्थान
ई-मेल:- aryana@bankofbaroda.com

संक्षिप्त वाहन ई-नीलामी नोटिस

एतद्द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से ऋणी/जमानतदार को नोटिस दिया जाता है कि बैंक ने पार्टियों द्वारा निष्पादित हाइपोथिकेशन / ऋण समझौते के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित बंधक मोटर वाहन को जब्त कर लिया है और वाहन को 'जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जाएगा, और नीचे उल्लिखित खातों / खातों में देय राशियों की वसूली की जायेगी। उधारकर्ता / जमानतदार/वाहन / कुल बकाया / आरक्षित मूल्य / ई-नीलामी तिथि और समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है-

क्र. सं.	ऋणी/जमानतदार का नाम व पता	कुल बकाया राशि	दृष्टिबंधक वाहन का विवरण	ई-नीलामी की दिनांक ई-नीलामी का समय [illegible]	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि (ईएमडी) बोली वृद्धि राशि	वाहन/चल संपत्ति की निरीक्षण तिथि और समय
1.	श्री किशनलाल पुत्र श्री राजपाल चौधरी मकान नं.22, सेक्टर नं.04, विवेकानन्द नगर, अलवर, राजस्थान 301 001	रुपये 4,62,961.56 दिनांक 12.07.2026 को बकाया (दिनांक 12.07.2026 तक ब्याज शामिल करते हुए) तथा इससे आगे का ब्याज व अन्य वसूली खर्चे इत्यादि	श्री किशनलाल पुत्र श्री राजपाल चौधरी के नाम टाटा जेस्ट एक्सई क्यूजेईटी 75पीएस बीएस4, रजिस्ट्रेशन नं. RJ02CE9850, चेसिस नं. MAT624004KPK03885 इंजन नं. 100A2000-0008705 ईंधन डीजल, मॉडल 2019, कलर प्रिस्टीन व्हाइट का दृष्टिबंधक	05.10.2026 दोपहर 02:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक दिनांक 03.10.2026 सांय 4:00 बजे से पहले	आरक्षित मूल्य रू. 70,000/- धरोहर राशि रू. 7,000/- बोली वृद्धि राशि रू. 5000/-	01.10.2026 सुबह 11.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक

विक्रय के नियम और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए वेबसाइट अर्थात् https://www.baanknet.com देखें। इसके अलावा संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से मोबाईल नं. 8094004768 पर संपर्क कर सकते है।
प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा
स्थान: अलवर, दिनांक: 16/09/2026

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India
शाखा : एएमसीसी, अलवर (राज.) 301001

परिशिष्ट-IV नियम 8(1) देखें अचल सम्पत्ति के लिए कब्जे का नोटिस

जबकि; निम्नहस्ताक्षरकर्ता भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता:- श्री मोहन सिंह राजपूत पुत्र श्री छगन सिंह को मांग सूचना दिनांक 03.06.2026 पर राशि रु. 28,12,898.96 (रुपये अट्ठाईस लाख बारह हजार आठ सौ अट्ठानवे तथा छियानवे पैसे मात्र) दिनांक 02.06.2026 तक बकाया एवं उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के अंदर, साथ ही आपको उपरोक्त राशि पर अनुबंध की दर अनुसार आगे का ब्याज और साथ में आकस्मिक खर्चे, लागत, शुल्क का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।
ऋणी/बंधककर्ता द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्द्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम को नियम 8 के साथ पठित उसमें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को वर्ष-2026 के माह-09 की 10-तारीख को कब्जे में ले लिया है।
ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता को विशेष एवं आम जनता को एतद्द्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार भारतीय स्टेट बैंक के ऋण खाता संख्या 39077022303 व 37242753422 के अंतर्गत राशि रु. 28,12,898.96 (रुपये अट्ठाईस लाख बारह हजार आठ सौ अट्ठानवे तथा छियानवे पैसे मात्र) दिनांक 02.06.2026 तक बकाया, उक्त राशि पर अनुबंध की दर से आगे का ब्याज सहित आकस्मिक खर्चे, लागत एवं प्रभार आदि सहित पूर्ण भुगतान तक भार के अधीन होगा।
ऋणियों का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण

साम्यिक बंधक आवासीय संपत्ति के सभी अंश व हिस्से जिसमें आवासीय संपत्ति स्थित पट्टा सं. 01, दिनांक 18.05.2017, बही सं. 40; ग्राम- खुडीना, तहसील- किशनगढ़, जिला- अलवर (राज.) में स्थित, क्षेत्रफल 166.60 वर्गगज, जो श्री मोहन सिंह पुत्र श्री छगन सिंह यादव के नाम से है। चतुःसीमा निम्नानुसार:- पूर्व - द्रोपती का मकान, पश्चिम- वीर सिंह का मकान, उत्तर - सड़क, दक्षिण- उमा रानी का मकान
दिनांक : 10/09/2026; स्थान : खुडीना (अलवर)
प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

HDFC BANK
We understand your world

नीलामी बिक्री सूचना

संबंधित ऋणकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे सूचीबद्ध ऋण खातों में सुरक्षा के रूप में गिरवी रखे गए सोने के आभूषण/गहनों की सार्वजनिक नीलामी आयोजित करने का प्रस्ताव है, ये वस्तुएं उन ऋणकर्ताओं द्वारा प्रतिज्ञा की गई थीं जिन्होंने निर्धारित ऋण समझौतों की शर्तों के अनुसार अपनी देनदारियों का पुनर्भुगतान न कर पाने के बावजूद, HDFC बैंक लिमिटेड ('बैंक') द्वारा उनके बकाया राशि चुकाने के लिए जारी किए गए अनुस्मारकों के बावजूद, अपने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। बैंक ने पहले नोटिस जारी किए थे जिसमें ऋणकर्ताओं को उनके संबंधित लोन खातों में पूरी बकाया राशि चुकाने के लिए सात (7) दिनों का समय दिया गया था। चूंकि ऋणकर्ताओं ने अपने खातों को नियमित नहीं किया है, बैंक ने, ऋण समझौते और लागू कानून के तहत बंधककर्ता के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, गिरवी को लागू करने और देय राशि वसूलने के लिए गिरवी रखे गए स्वर्ण आभूषण/गहनों की सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बिक्री करने का निर्णय लिया है। नीलामी नीचे उल्लेखित शाखा(ओं) में दोपहर 3:30 बजे से आयोजित की जाएगी। यदि किसी कारणवश कोई भी गिरवी रखी गई सुरक्षा की नीलामी निर्धारित तिथि पर आयोजित या पूरी नहीं की जा सकती है, तो बैंक बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के किसी भी आगामी तिथि और समय पर नीलामी जारी रखने या पुनर्निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

क्र.सं.	ऋण नंबर	कर्जदार का नाम	ऋण राशि	नीलामी दिनांक	नीलामी स्थान (शाखा पता)
1	76029486	गोविंद कुमार	624,000	25-09-2026	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, ग्राउंड फ्लोर, ए762, इंद्रा विहार, कोटा, राजस्थान
2	4001262588	उमेश गोचर	166,300	25-09-2026	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, श्री जी होटल, गुरुद्वारा के पास, कोटा रोड, बारां, राजस्थान
3	76028759	लोकेश कुमार सुमन	92,000	17-10-2026	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, ओल्ड मोटर मार्केट, कोटा-बारां रोड, अंता, जिला- बारां, राजस्थान, अंता, राजस्थान-325202
4	4000560777	कल राम	74,000	17-10-2026	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, वार्ड नं 4, संजय कॉलोनी, हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने, छाबड़ा, छाबड़ा, राजस्थान

नीलामी को सख्ती से ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है'', और ''जो कुछ है वहीं है'' के आधार पर किया जाएगा।
बैंक गिरवी रखे गए सोने के गहनों/आभूषणों की गुणवत्ता, शुद्धता, कैरेट, वजन, या मूल्यांकन के संबंध में कोई वारंटी और स्पष्ट या निर्धारित प्रतिनिधित्व नहीं देता है। संभावित बोलीदाता नीलामी से पहले पंजीकृत वस्तुओं की स्थिति, शुद्धता, कैरेट, वजन और मूल्यांकन की जांच करने और स्वयं को संतुष्ट करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। नीलामी से 45 मिनट पहले निरीक्षण की अनुमति पूरी तरह से बोलीदाताओं की लागत, जोखिम और विवेक पर दी जाएगी। नीलामी में भाग लेकर, बोलीदाता यह माना जाएगा कि उन्होंने गिरवी रखी गई वस्तुओं का स्वतंत्र रूप से निरीक्षण किया है और बैंक द्वारा किए गए किसी भी प्रतिनिधित्व पर निर्भर किए बिना सभी संबंधित जोखिमों को स्वीकार करते हैं। बिक्री के बाद किसी भी परिस्थिति में वापसी, विनिमय, रिफंड, मुआवजा, या रद्द करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
सभी बोलियाँ बैंक द्वारा लागू नियामक मानदंडों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम आरक्षित मूल्य के अधीन होंगी। नीलामी मूल्य इस पर आधारित होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कम है: (a) पिछले तीस (30) दिनों के लिए सोने का औसत समापन मूल्य या (b) भारत बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (IBJA) द्वारा तुरंत पूर्ववर्ती दिन प्रकाशित सोने का अंत मूल्य। बैंक को आरक्षित मूल्य को अंतिम रूप देने और आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी अतिरिक्त शर्तों को लगाने का एकमात्र विवेकाधिकार है।
यदि कोई भी ऋणकर्ता नीलामी शुरू होने से पहले ऋण अनुबंध के अनुसार संपूर्ण बकाया राशि चुका देता है, तो उस खाते के लिए गिरवी रखे गए सोने के आभूषण/गहने, बैंक के विवेकानुसार, आगे की सूचना के बिना नीलामी से वापस ले लिए जा सकते हैं।
नीलामी और किसी भी परिणामी बिक्री पर किसी भी आगे के नियम और शर्तें लागू रहेंगी, जिन्हें बैंक, अपनी एकमात्र और पूर्ण विवेक पर, समय-समय पर लागू, संशोधित या निर्धारित कर सकता है। कृपया ध्यान दें कि बैंक के अधोहस्ताक्षरी अधिकृत अधिकारी को नीलामी की कार्यवाही को बिना पूर्व सूचना के स्थगित करने, टालने, संशोधित करने, निलंबित करने या रद्द करने का पूर्ण और असीमित विवेकाधिकार प्राप्त है। अधिकृत अधिकारी किसी भी बोली(यों) को, पूरे या आंशिक रूप से, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है, और यह निर्णय अंतिम, निर्णायक और सभी प्रतिभागियों पर बाध्यकारी होगा।
हस्ता./- अधिकृत अधिकारी,
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
दिनांक: 17.09.2026, स्थान: कोटा